निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 828) पटना, बुधवार, 13 सितम्बर 2017

सं० 3ए-12-(लोकायुक्त)-01/2016-7310/वि०
वित्त विभाग

संकल्प
12 सितम्बर 2017

विषय:- कार्यभारित स्थापना के कर्मियों के नियमित स्थापना में आने के बाद कालबद्ध प्रोन्नति दिये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार के कार्य विभागों में विभिन्न पदनाम से आवश्यकतानुसार कार्यभारित कर्मियों की सेवाएं, वैकल्पिक रूप से ली जाती रही हैं। ये कर्मी नियमित स्थापना के कर्मी नहीं होते हैं अपितु इन्हें निर्माण कार्य के प्राक्कलनों में समाविष्ट किया जाता है। इन कर्मियों के सम्बन्ध में चतुर्थ वेतन समिति का अभिकथन है कि यदि इन्हें नियमित स्थापना मे परिवर्तित किया जाता है तो इन्हें नियमित कर्मियों की भाँति प्रोन्नति आदि का लाभ दिया जा सकता है, अन्यथा इन्हें ये लाभ नहीं दिए जा सकते ।

2. दिनांक 01/04/81 से चतुर्थ वेतन समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा अकार्यात्मक प्रोन्नति के रूप में 10 एवं 25 वर्षो की सेवा पूरी होने पर कालबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की गई । यह व्यवस्था नियमित स्थापना के कर्मियों के लिए प्रभावी हुई। चूँकि कार्यभारित कर्मियों को उनकी सेवा की निरंतरता को दृष्टिपथ में रखते हुए नियमित स्थापना में परिवर्तित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, अत: इनके नियमित स्थापना में आने के बाद इन्हें कलबद्ध प्रोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया। वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1503, दिनांक 27/03/1987 के द्वारा कार्यभारित स्थापना की अवधि को जोड़ते हुए कार्यभारित कर्मियों को प्रवर कोटि/कालबद्ध प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान किया गया। उक्त प्रावधान निर्गत तिथि से प्रभावी किया गया। पत्र संख्या-5000, दिनांक 21/09/1992 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 27/03/1987 के प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति एवं उसका लाभ दिया जाएगा।

3. इसके उलट किसी कार्यालय द्वारा दिनांक 01/04/1981 या उसके बाद की तिथियों में किन्तु दिनांक 27.03.1987 के पूर्व कार्यभारित कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति दी गई। मामला समक्ष आने पर वित्त विभागीय पत्रांक-3683, दिनांक 17/05/2003 के द्वारा यह स्पष्टीकरण निर्गत किया गया कि दिनांक 27/03/1987 अथवा

उसके बाद की देय तिथि से कालबद्ध प्रोन्नति दी जाय। स्पष्ट है कि कार्यभारित कर्मियों को पूर्व की सेवा जोड़ते हुए दिनांक 27/03/1987 के प्रभाव से ही यह प्रोन्नति दी जानी थी।

4. इस स्पष्टीकरण के विरूद्ध दायर C.W.J.C. No- 1009/2005 एवं C.W.J.C. No-774/2005 दायर किया गया जिसमें संयुक्त रूप से पारित न्यायादेश दिनांक-20/09/2005 द्वारा दिनांक 17/05/2003 को जारी स्पष्टीकरण को निरस्त कर दिया गया। उक्त न्यायादेश के विरूद्ध कोई विधि सम्मत अग्रतर कर्रवाई नहीं की गई और दिनांक 17/05/2003 के पत्र को वित्त विभागीय पत्रांक-2882, दिनांक 06/05/2006 के द्वारा रद्द कर दिया गया।

5. उपर्युक्त के आधार पर स्व० कौशल किशोर सिंह, सेवानिवृत बिजली मिस्त्री की बहू श्रीमती सुनिता सिंह, द्वारा स्व० सिंह को दिए गए प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के लाभ हेतु माननीय लोकायुक्त बिहार के समक्ष वाद सं०-2/लोक(सिंचाई)-27/2010 दायर किया गया। माननीय लोकायुक्त द्वारा कंडिका-4 में इंगित वादों पर हुए न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश इस विचार के साथ कि दिनांक 27/03/1987 के पूर्व दी गयी कालबद्ध प्रोन्नति वैचारिक रूप से देते हुए दिनांक 27/03/1987 से आर्थिक लाभ/सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाय।

6. C.W.J.C. No- 1009/2005 एवं C.W.J.C. No-774/2005 में संयुक्त रूप से दिनांक 20/09/2005 को पारित न्यायादेश का कार्यान्वयन राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

7. **सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि** कार्यभारित स्थापना के वैसे कर्मी जिन्हें नियमित किया जा चुका है, को कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति की तिथि से 10/25 वर्ष की कालावधि को दृष्टिपथ में रखते हुए कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान की जाय। यह प्रोन्नति दिनांक 01/04/1981 से दिनांक 27/03/1987 के बीच वैचारिक रूप से दी जा सकेगी और उसका वास्तविक लाभ दिनांक 27/03/1987 के प्रभाव से अनुमान्य होगा। पुन: जो कर्मी उक्त अवधि (27/03/1987 के पूर्व) में सेवा निवृत्त हुए हों उनके संदर्भ में वैचारिक लाभ के आधार पर सेवान्त लाभों की गणना की जाएगी।

8. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 828-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in